

**लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर), बांसवाड़ा (राज.)**

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS.

प्रकरण संख्या : 09 / 2022

GCMS NO. : 2022 / 43

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

अप्रार्थी /रेस्पोंडेंट:-

श्री प्रवीण कुमार कंसारा,

तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) घाटोल

नुकेश प्रिन्टर एस.बी.पी. गवर्मेन्ट कॉलेज
के सामने, राज मेडिकल के पास, जिला
डूंगरपुर (राज.)

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :- 30-06-2022

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) घाटोल से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 18.04.2022 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) घाटोल द्वारा निर्धारित अवधि में भी सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक 07.06.2022 जारी किया गया एवं अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भी नियत तिथि को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया गया।

दिनांक 22.06.2022 को अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं होने पर पुनः सूचना पत्र जारी किया गया।

दिनांक 30.06.2022 को भी अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। प्रत्यर्थी ने पत्रांक 102 दिनांक 29.06.2022 संलग्न अपीलार्थी को प्रेषित की गई सूचना एवं पत्राचार की प्रतियाँ पेश कर अवगत कराया। अपीलार्थी के




**जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)**




के प्रश्नगत प्रार्थना पत्र दिनांक 18.04.2022 से वांछित सूचना कार्यालय के पत्र क्रमांक 69-70 दिनांक 20.06.2022 द्वारा रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की जा चुकी है तथा ट्रेक कन्साईन्मेंट अनुस्तर प्रार्थी को डाक प्राप्त हो चुकी है। अपील अपीलान्त निरस्त फरमावे।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 18.04.2022 तथा तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) घाटोल के पत्रांक 102 दिनांक 29.06.2022 संलग्न अपीलार्थी को प्रेषित की गई सूचना एवं पत्राचार की प्रतियों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा 2 बिन्दुओं पर चाही सूचना के सन्दर्भ में तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) घाटोल ने उनके पत्रांक 69-70 दिनांक 20.06.2022 से अपीलार्थी को सूचना से अवगत करा दिया है। अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भेजी जाये।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2022 को खुल न्यायालय में सुनाया गया।




(प्रकाश चन्द्र शर्मा) IAS.
जिला कलेक्टर,
बासवाड़ा (राज.)
जिला कलेक्टर, बासवाड़ा (राज.)